न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद ।

सत्र परीक्षण वाद संख्याः 869/2010

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 700869/2010

सरकार बनाम आरिफ आदि

मु०अ०सं०–858/2009

अन्तर्गत धाराः 302 भा०दं०सं०

थानाः मुरादनगर।

जिलाः गाजियाबाद।

आरोप

मैं, हीरा लाल –III ,अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद एतदद्वारा आप अभियुक्तगण महरदीन व हनीफ को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 26.12.2009 को समय शाम 04:30 बजे, स्थान रावली रोड चौराहा वार्ड नं० 24 के पास अन्तर्गत थाना क्षेत्र मुरादनगर जिला गाजियाबाद में आपने अपने साथी आरिफ व आसिफ के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में रुपयो के लेने–देन के विवाद पर शोएब के सिर पर लोहे की राड एवं हाकी से चोट पहुंचा कर उसकी साशय हत्या कर दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 302 भा०दं०सं० व सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतदद्वारा मैं आपको आदेशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 19.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। उसने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की ।

दिनांकः 19.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद ।

सत्र परीक्षण वाद संख्याः 869/2010

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 700869/2010

सरकार बनाम आरिफ आदि

मु०अ०सं०–858/2009

अन्तर्गत धाराः 302 भा०दं०सं०

थानाः मुरादनगर।

जिलाः गाजियाबाद।

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण महरदीन व हनीफ जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित।

आरोप विरचन के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपने केस का खुलासा किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण मेहरदीन व हनीफ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं थे, उक्त अभियुक्तगण को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.09.2019 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० के तहत तलब किया गया था। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भा०दं०सं० व सपठित धारा 34 भा०दं०सं० आरोप विरचित किया जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से कोई अपराध नहीं बनता है। गलत रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना की गयी कि अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.09.2019 द्वारा अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० के तहत की गयी तलबी के आधार पर धारा 302 भा०दं०सं० व सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अधीन प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्तगण महरदीन व हनीफ के विरूद्ध धारा 302 भा०दं०सं० व सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अपराध के लिए आरोप विरचित किया जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 03.10.2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हो।

दिनांकः 19.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।